[श्री नरेश अग्रवाल]

है और 1200 मेगावाट की कमी के चलते उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि उत्तर प्रदेश को आप जितनी बिजली देंगे, हम निरन्तर उसकी पेमेंट करेंगे। यहां तक कि हमने यह भी एग्रीमेंट किया है कि अगर हम पेमेंट न कर पाएं तो हमारे स्टेट को जो सेंट्रल एसिस्टेंस है, उसमें से आप बिजली का भुगतान काट लें, लेकिन केन्द्र सरकार उसको नहीं मान रही है। श्रीमन्, यहां तक उत्तर प्रदेश में जो पावर प्लांट्स लग रहे हैं, जैसे- रोजा लग रहा है, बजाज का लग रहा है, लैन्को का लग रहा है, तो केन्द्र सरकार ने उनसे एग्रीमेंट किया कि 65 परसेंट कोयला उनको मिलेगा, लेकिन 40 परसेंट कोयला भी उनको नहीं दे रही है, जिससे उनको कोयला इम्पोर्ट करना पड़ रहा है और इम्पोर्ट के कारण बिजली उत्पादन की लागत निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। यहां तक कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, यह उनको भी कोयला नहीं दे रही है, जिससे एक अजीब स्थिति हमारे स्टेट के सामने पैदा हो गई है। एक फार्मूला यह भी है कि जिस राज्य में केन्द्र की युनिट लगेगी, उसकी 25 परसेंट बिजली उस राज्य को दी जाएगी। दादरी में इन्होंने एक प्लांट लगाया। उस समय यहां कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे। इन्होंने 90 परसेंट बिजली दिल्ली को दे दी, तो कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते उत्तर प्रदेश उस समय तो नहीं बोला, लेकिन आज जब हम कह रहे हैं कि आप अपने कहे अनुसार ही, अपने फार्मूले के अनुसार ही उत्तर प्रदेश को दादरी में लगे पावर प्लांट का 25 परसेंट उत्पादन तो दीजिए..। उसके अलावा, चूंकि यह हमारे राज्य में लगा है, इसलिए उसको और भी दे दीजिए। श्रीमन्, ये उसको भी नहीं मान रहे हैं। यह राज्य के साथ केन्द्र का सौतेलापन का व्यवहार चल रहा है। हमारे मंत्री भी बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, कल वे बिजली मंत्री हो सकते हैं, आज गृह मंत्री हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि अगर आप लोगों ने भी पैरवी नहीं की, अपने स्टेट के हित को नहीं देखा, तो फिर चुनाव में राज्य की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है।

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि ऊर्जा मंत्री आकर इस पर बयान दें। शिंदे जी ऊर्जा मंत्री रहे हैं, लेकिन जब गृह मंत्री हो गए हैं, मैं तो शिंदे जी से कहूंगा कि वही उनके behalf पर बयान दे दें।...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नरेश अग्रवाल : अगर यहां पर बयान दें, यह कहें और यह promise करें कि राज्य की पूरी बिजली दी जाएगी, तो उत्तर प्रदेश के साथ इंसाफ होगा, अन्यथा यह गैर-इंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उत्तर प्रदेश इससे सहमत नहीं है। धन्यवाद।

Request for removal of restriction imposed on States concerning appointment of officers/soldiers in Army

श्री शान्ता कुमार (हिमाचल प्रदेश) : धन्यवाद, उपसभापति जी। मैं आपके माध्यम से भारत

की सुरक्षा के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रख रहा हूं। रक्षा मंत्री महोदय ने सदन में यह स्वीकार किया कि भारत की सेनाओं में लगभग 42 हजार अधिकारियों और जवानों की कमी है। देश की सुरक्षा करने में जो सेना कार्यरत है, उनमें लगातार कई वर्षों से 12,500 अधिकारी और लगभग 30,000 जवान हैं। महोदय, स्थाई समिति डिफेंस ने अपनी रिपोर्ट में शस्त्रों की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की थी। पिछले सेना प्रमुख वी.के. सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर कहा था कि भारत की सेना में शस्त्र बहुत कम हैं, अस्त्र कम हैं, बहुत से obsolete हो चुके हैं, इस पर उन्होंने गंभीर चिंता प्रकट की थी। यह सारी स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। मैं सरकार से दो निवेदन करना चाहूंगा। हथियारों की कमी, यह भी चिंताजनक है। लेकिन इस बारे में समाचार पत्रों में लगातार समाचार आना और रक्षा मंत्री का स्वीकार करना तथा स्थाई समिति का उस पर रिपोर्ट देना, इससे पूरे देश के जनमानस में असुरक्षा की भावना जागती है, जो अत्यंत चिंताजनक है। जहां तक जवानों और अधिकारियों की संख्या का कम होना है, इसके संबंध में मेरा एक निवेदन यह है कि भारत के कुछ क्षेत्र हैं, जो परंपरागत तरीके से सेना में भर्ती होते थे। हिमाचल में, पंजाब में, उत्तराखंड में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हर परिवार यह चाहता हैं कि उनके परिवार का एक न एक सदस्य सेना में अवश्य जाए। वे आज भी जाना चाहते हैं, परंतु सरकार ने प्रत्येक प्रदेश पर एक बंदिश लगा दी है कि उस प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात से अधिक सेना में भर्ती नहीं होगी। अब जो जवान सेना में भर्ती होना चाहता है, उसको इस बंदिश के कारण आप सेना में भर्ती नहीं कर रहे हैं और बाकी जगह से जवान आ नहीं रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिला कर सेना में 42 हजार अधिकारियों और जवानों की कमी है।

पंजाब और हिमाचल के मुख्य मंत्री कई बार आग्रह कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं कि हमारे जवान सेना में जाना चाहते हैं, यह उनकी परंपरा है, सेना में जाने की उनकी इच्छा है, लेकिन आप एक बंदिश लगा कर उन्हें सेना में नहीं ले रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस प्रतिबंध को हटाए और जिन प्रदेशों से परंपरागत तरीके से लोग सेना में आना चाहते हैं, उनको सेना में भर्ती करे, ताकि सेना में आना चाहते हैं, उनको सेना में भर्ती करे, ताकि सेना के अंदर जवानों और अधिकारियों की कमी न हो। सेना में जवानों, अधिकारियों और हथियारों की कमी अत्यंत ही चिंताजनक विषय है, यही बोल कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री जगत प्रकाश नड्डा (हिमाचल प्रदेश) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

डा. सी.पी. ठाकुर (बिहार) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री थावर चन्द गहलोत (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया (राजस्थान) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।